



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 02 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जनवरी 2015-पौष 19, शके 1936

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं पदमेश मिश्रा, उम्र करीब 35 वर्ष, पिता श्री राममूर्ति मिश्रा, साकिन-29, विजयनगर, रामपुर छापर, शंकर शाह वार्ड, जबलपुर का निवासी हूँ। पूर्व में मेरा नाम पदमेश मिश्रा पिता राममूर्ति मिश्रा था। किन्तु अब मैं अपना नाम बदलकर अर्थ मिश्रा पिता राममूर्ति मिश्रा लिखने लगा हूँ आज के बाद से अब मुझे अर्थ मिश्रा पिता राममूर्ति मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जावे एवं मेरे समस्त शासकीय, अर्ध शासकीय दस्तावेज में अर्थ मिश्रा नाम दर्ज किया जावे व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

( पदमेश मिश्रा )

(527-बी.)

नया नाम :

( अर्थ मिश्रा )

#### नाम परिवर्तन

पूर्व में मुझे MOHAMMAD GHUFRAN ATEEQUE मोहम्मद गुफ्रान अतीक के नाम से जाना जाता था जो कि बदलकर GHUFRAN ATEEQUE KHAN गुफ्रान अतीक खान हो गया है। अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम GHUFRAN ATEEQUE KHAN गुफ्रान अतीक खान के नाम से जाना जायें।

पुराना नाम :

( मोहम्मद गुफ्रान अतीक )

( MOHAMMAD GHUFRAN ATEEQUE )

(536-बी.)

नया नाम :

( गुफ्रान अतीक खान )

( GHUFRAN ATEEQUE KHAN )

पता-म.नं. फ्लैट नं. जी-2, मिलेनियम हिल,  
टॉप अहमदाबाद पैलेस रोड, भोपाल (म.प्र.).

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम पूजा पिता सदानंद केलकर था। अतः अब शादी के बाद मुझे श्रीमती अन्विता पति श्री अनुकुल मोघे के नाम से जाना जाए।

पुराना नाम :

( पूजा केलकर )

पिता सदानंद केलकर

(529-बी.)

नया नाम :

( अन्विता )

पति श्री अनुकुल मोघे,  
166, तिलक नगर एक्सटेंशन,  
इन्दौर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सूचित किया जाता है कि मैं, अनुपा सिन्हा (ANUPA SINHA) पुत्री श्री सुरेश्वर सहाय, निवासी जी-28, ग्लोरी विला शताब्दीपुरम, ग्वालियर (म.प्र.) प्रारम्भ से अपना नाम अनुपा सिन्हा (ANUPA SINHA) लिखती थी, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. मैंने विवाह उपरान्त अपना नाम अनुपमा श्रीवास्तव (ANUPAMA SRIVASTAVA) पत्नी श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव लिखना आरम्भ कर दिया है.

अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम अनुपमा श्रीवास्तव पत्नी श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव के नाम से लिखा, पढ़ा और प्रयोग में लाया जावे.

पुराना नाम :

( अनुपा सिन्हा )

नया नाम :

( अनुपमा श्रीवास्तव )

(532-बी.)

**नाम परिवर्तन**

मैं, अनिल कुमार जैन पिता श्री मदनलाल अग्रवाल, निवासी-ब्लॉक नं. 10 कचनार रेसीडेन्सी, जबलपुर हॉस्पिटल के पास नेपियर टाउन, जबलपुर मध्यप्रदेश आज दिन जबलपुर में सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र आदित्य जैन की कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की मार्कशीट तथा स्कूल अभिलेखों में उसके पिता का नाम गलती से अनिल जैन दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि पिता का सही नाम अनिल कुमार जैन दर्ज होना चाहिये था, अतः इसी आशय की यह आम सूचना दिन जबलपुर में प्रकाशित की जा रही है, कि मेरे पुत्र आदित्य जैन की मार्कशीट में उसके पिता के गलत नाम अनिल जैन के स्थान पर सही नाम अनिल कुमार जैन लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम :

( अनिल जैन )

( ANIL JAIN )

नया नाम :

( अनिल कुमार जैन )

( ANIL KUMAR JAIN )

ब्लाक नं. 10 कचनार रेसीडेन्सी,  
जबलपुर, हॉस्पिटल के पास नेपियर टाउन,  
जबलपुर (म.प्र.).

(533-बी.)

**नाम परिवर्तन**

मैं, अनिल कुमार जैन पिता श्री मदनलाल अग्रवाल, निवासी-ब्लॉक नं. 10 कचनार रेसीडेन्सी, जबलपुर हॉस्पिटल के पास नेपियर टाउन, जबलपुर मध्यप्रदेश आज दिन जबलपुर में सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र निमिष जैन की कक्षा दसवीं की मार्कशीट तथा स्कूल अभिलेखों में उसके पिता का नाम गलती से अनिल जैन दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि पिता का सही नाम अनिल कुमार जैन दर्ज होना चाहिये था, अतः इसी आशय की यह आम सूचना दिन जबलपुर में प्रकाशित की जा रही है, कि मेरे पुत्र निमिष जैन की मार्कशीट में उसके पिता के गलत नाम अनिल जैन के स्थान पर सही नाम अनिल कुमार जैन लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम :

( अनिल जैन )

( ANIL JAIN )

नया नाम :

( अनिल कुमार जैन )

( ANIL KUMAR JAIN )

ब्लाक नं. 10 कचनार रेसीडेन्सी,  
जबलपुर, हॉस्पिटल के पास नेपियर टाउन,  
जबलपुर (म.प्र.).

(534-बी.)

**नाम परिवर्तन**

शादी पूर्व मेरा नाम हेमलता माखीजा पिता श्री खेमचन्द माखीजा था. जिसे शादी हो जाने के बाद बदलकर हमने अंजनी दीपानी पति श्री भागचन्द दीपानी कर लिया है. अब मुझे मेरे सभी दस्तावेजों में मेरे नये नाम अंजनी दीपानी पति श्री भागचन्द दीपानी से लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( हेमलता माखीजा )

( HEMLATA MAKHIJA )

पिता श्री खेमचन्द माखीजा

नया नाम :

( अंजनी दीपानी )

( ANJANI DEEPANI )

पति श्री भागचन्द दीपानी,  
ए-110, इन्द्रबिहार कॉलोनी एयरपोर्ट  
रोड, भोपाल (म.प्र.).

(535-बी.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. नवभारत इसेंसियल आईल जिसका रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एवं सोसायटी में पंजी. क्र. 03/47/01/00274/12 है-

1. फर्म के कारोबार के स्थान में परिवर्तन :-  
[पूर्व पता :- अमरावती रोड, होटल रिवरव्यू के पास (ताप्लिब्रीज) बुरहानपुर]  
(परिवर्तित पता :- स्थान 691, फतेह गुरुगोविंदसिंह एण्ड कम्पनी जिनिंग कम्पाउण्ड रेणुकामाता मंदिर रोड, बुरहानपुर).
2. फर्म में सम्मिलित होने वाले भागीदार :- दिनांक 01 जून, 2013 से हेरीस ए ए पिता श्री अब्दुल्ला असमा फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं.

#### तथा

3. फर्म से अलग होने वाले भागीदार :- दिनांक 01 जून, 2013 से मोहम्मद ईखलाक पिता श्री जलील अहमद फर्म से अलग हो रहे हैं. दिनांक 01 जून, 2013 से मे. नवभारत इसेंसियल आईल फर्म का पता तथा भागीदारों कि स्थिति 691 फतेह गुरुगोविंदसिंह एण्ड कम्पनी जिनिंग कम्पाउण्ड रेणुकामाता मंदिर रोड, बुरहानपुर तथा भागीदार निम्न हैं सनद रहे.

1. मुजीब रहमान टी. ए. पिता श्री पी. बी. अबुबकर
2. जाफर पी. एम. पिता श्री पी. बी. मुथल्लीब
3. हेरीस ए. ए. पिता श्री अबदुल्ला असमा.

वास्ते :- मे. नवभारत इसेंसियल आईल,

**जाफर पी. एम.**

(भागीदार).

(531-बी.)

#### आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार मेसर्स हमराही मैट्रोमोनियल सर्विस से अधिकृत होकर यह आम सूचना प्रकाशित करता हूँ कि, मेसर्स हमराही मैट्रोमोनियल सर्विस फर्म जिसका कार्यालय तृतीय तल भसीन एक्रोपोलिस के पास गुलाटी पेट्रोल पम्प प्रेमनगर, मदन महल, जबलपुर मध्यप्रदेश में स्थित है. उक्त फर्म के साझेदार कुमारी सरबजीत कौर साझेदारी से त्याग पत्र देकर साझेदारी फर्म से पृथक् हो गई हैं एवं उक्त फर्म में नये साझेदार के रूप में गुरुदेव सिंह को नये साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया है. अतः साझेदारी फर्म में हुये परिवर्तन को दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 से प्रभावी माना जाये.

उक्तानुसार सर्व-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशन किया जा रहा है.

वास्ते :- मेसर्स हमराही मैट्रोमोनियल सर्विस,

**नागेन्द्र तिवारी,**

(अधिवक्ता)

(530-बी.)

पुलिस क्वार्टर रामपुर, जबलपुर (म.प्र.).

### मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 13 नवम्बर, 2014

**हाम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी लिखित परीक्षा-2013**

**परीक्षा, दिनांक 09 मार्च, 2014 ( रविवार ) परीक्षा परिणाम**

( साक्षात्कार हेतु मय प्रमाणपत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 08 दिसम्बर, 2014 है एवं साक्षात्कार दिनांक 12 जनवरी, 2015 से होंगे )

वि. क्र. 739/08/2014/अनु.-10.—विज्ञापन क्रमांक-03/परीक्षा/2013/23 सितम्बर, 2013 के अंतर्गत लिखित परीक्षा के घोषित परीक्षा परिणाम में कुल 6969 ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश पत्र जारी किये गये. इस परीक्षा में कुल 5643 आवेदक उपस्थित हुए एवं लिखित परीक्षा परिणाम में 374 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-150, अनुसूचित जाति-80, अनुसूचित जनजाति-123 व अन्य पिछड़ा वर्ग-21 है व भूतपूर्व सैनिक निरंक है. इनमें कुल महिला-114, विकलांग-13, समान अंक-25 है एवं अनुसूचित जनजाति विकलांग श्रेणी के 05 अर्ह आवेदक कम पाए गए हैं. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

2. होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा, दिनांक 09 मार्च, 2014 (रविवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आयोग की वेबसाइट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म डाउनलोड करके विधिवत् भरकर अनुप्रमाणन फॉर्म (दो प्रतियों में) एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म (पाँच प्रतियों में) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फॉर्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3. प्रावधिक अर्ह पये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फॉर्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार दिनांक 12 जनवरी, 2015 से आयोजित होंगे। परीक्षा परिणाम की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 13 नवम्बर, 2014 से उपलब्ध है।

(07)

वन्दना वैद्य,  
उप-सचिव.

इन्दौर, दिनांक 13 नवम्बर, 2014

### होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी लिखित परीक्षा-2013

परीक्षा, दिनांक 09 मार्च, 2014 (रविवार) परीक्षा परिणाम

(साक्षात्कार हेतु मध्य प्रमाणपत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 08 दिसम्बर, 2014 है एवं साक्षात्कार दिनांक 12 जनवरी, 2015 से प्रारम्भ होंगे)

वि. क्र. 739/08/2014/अनु.-10/02.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक-736/08/2014/अनु.-10, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 द्वारा होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी लिखित परीक्षा-2013 का परिणाम घोषित किया गया। उक्त परीक्षा परिणाम में कुल 380 अभ्यर्थियों के नाम की सूची जारी की गई थी इस सूची में 06 अभ्यर्थियों के रोल नम्बर-दो बार मुद्रित हुए थे जो क्रमशः अनुक्रमांक-2517, 2873, 3918, 5263, 5455 एवं 6272 थे। ऐसे 06 रोल नम्बर को विलापित करने के उपरान्त संशोधित कुल 374 अर्ह आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किये जाते हैं।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-03/परीक्षा/2013/23 सितम्बर, 2013, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर, 2013 मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के 114 पदों हेतु होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा, दिनांक 09 मार्च, 2014 (रविवार) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर पर आयोजित की गई थी। उपरोक्त लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्र. 739/08/2014/अनु.-10, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 द्वारा घोषित किया गया है। यह परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना-पटल पर देखने के लिए उपलब्ध है तथा "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसे आयोग की वेबसाइट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर देखा जा सकता है।

इस परीक्षा में कुल 6969 ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये। इस परीक्षा में कुल 5643 आवेदक उपस्थित हुए एवं लिखित परीक्षा परिणाम में 374 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-150, अनुसूचित जाति-80, अनुसूचित जनजाति-123 व अन्य पिछड़ा वर्ग-21 है व भूतपूर्व सैनिक निरंक है। इनमें कुल महिला-114, विकलांग-13, समान अंक-25 है एवं अनुसूचित जनजाति विकलांग श्रेणी के 05 अर्ह आवेदक कम पाए गए हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा, दिनांक 09 मार्च, 2014 (रविवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आयोग की वेबसाइट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म डाउनलोड करके विधिवत् भरकर अनुप्रमाणन फॉर्म (दो प्रतियों में) एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म (पाँच प्रतियों में) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फॉर्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रावधिक अर्ह पये गये आवेदकों के अनुप्रमाणिक फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी. साक्षात्कार दिनांक 12 जनवरी, 2015 से आयोजित होंगे.

आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.

लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

परीक्षा परिणाम में अर्ह आवेदकों की सूची निम्नानुसार है :—

S.No.	Roll	Name
1	1033	ABHA SHALINI KARARI
2	1036	ABHAY DEO EVNE
3	1153	AJAY KUMAR GUPTA
4	1196	AKANKSHA GUPTA
5	1203	AKANKSHA SINGH
6	1214	AKASH JOHN LAKRA
7	1235	AKHILESH RATHORE
8	1262	ALOK KUMAR
9	1267	ALOK KUMAR PATEL
10	1282	ALPANA IRPACHE
11	1291	AMAR RATAN GAUTAM
12	1317	AMIT JAISWAL
13	1325	AMIT KUMAR ARYA
14	1326	AMIT KUMAR BAGHEL
15	1355	AMIT PATEL
16	1411	ANAMIKA MISHRA
17	1434	ANANDSAGAR
18	1452	ANGAR SINGH
19	1453	ANGIL PAUL
20	1459	ANIL DEEPAK GOYAL
21	4471	NAZISH KHAN
22	1516	ANITA SINGH
23.	1530	ANJANA KUSHRAM
24.	1549	ANKIT KUMAR VIJIYAWAT
25.	1551	ANKIT SRIVASTAVA
26.	1671	ARBIND KUMAR BARAHDIA
27.	1673	ARCHANA ARMO
28.	1712	ARJUN SINGH KANWAR
29.	1741	ARUN BISEN
30.	1745	ARUN KUMAR

S.No.	Roll	Name
31	1819	ASHISH KUMAR
32	1875	ASHOK KUMAR AUCHAT
33	1908	ASHUTOSH TRIPATHI
34	1913	ASHWINI PANKAJ
35	1918	ASHWINI BHALAVI
36	1967	AVINASH YADAV
37	1985	BABITA GUPTA
38	1994	BADRIJADHAW
39	2004	BALGOVIND PANDRE
40	2022	BASANT SINGH NORKE
41	2026	BHAGATRAM PATIDAR
42	2046	BHARAT KUMAR PATIDAR
43	2050	BHARAT MONDLOI
44	2054	BHARAT SINGH KANEL
45	2073	BHASKAR TIWARI
46	2074	BHAVANA CHOUHAN
47	2083	BHAVNA LAKHER
48	2091	BHAWANA MOHANE
49	2093	BHAWANA VERMA
50	2147	BIPIN KUMAR SINGH
51	2203	CHAITALI SIL
52	2204	CHAITANYA PARASHAR
53	2215	CHANCHALA SHILPI
54	2226	CHANDRA MOHAN CHANDEL
55	2233	CHANDRASHEKHAR NIGAM
56	2254	CHANDRASHEKHAR NAYAK
57	2257	CHANDRASHEKHAR TIJARE
58	2260	CHANDRAWATI AHIRWAR
59	2274	CHETANA RAI
60	2281	CHHAGAN SINGH JAMOD
61	2297	CHITTARANJAN KUNDU
62	2310	DASHRATH SINGH THAKUR
63	2314	DAYARAM BADOLE
64	2346	DEEPAK KOSARE
65	2371	DEEPAK SHENDE
66	2373	DEEPAK SINGH
67	2463	DEVENDRA KUMAR GUPTA
68	2489	DEVESH KUMAR CHAUHAN
69	2514	DHANRAJ KOKODE
70	2517	DHANVEER SINGH KUSHAWAHA

S.No.	Roll	Name
71	2521	DHARMENDRA DIXIT
72	2553	DHARMESH GUJRATI
73	2568	DHIRAJ DEBNATH
74	2585	DILEEP KUMAR AHIRWAR
75	2595	DILIP KUMAR JHARIA
76	2612	DILIP VERGADIA
77	2623	DINESH JAMRTE
78	2625	DINESH KANOJE
79	2626	DINESH KUMAR CHATURVEDI
80	2641	DINESH PATEL
81	2646	DINESH ROKADE
82	2649	DINESH SINGH THAKUR
83	2677	DIVYA KABIRPANTHI
84	2698	DR ANAND MANGLAM NAYAK
85	2707	DR ASHISH JAIN
86	2718	DR GAYATRI MUWEL
87	2728	DR. LALIT THAKARE
88	2733	DR MOHAN MALVIYA
89	2744	DR NILESH KUMAR AGRAHARI
90	2818	DR VINEET KUMAR VERMA
91	2820	DR VINOD DHURVEY
92	2821	DR VIPIN KUMAR SHRIWASTRI
93	2828	DR. AMIT SRIVASTAVA
94	2848	DR. PUNAM KUMARI
95	2873	DR ASHA UIKEY
96	2888	DR.MADHVI KAUL
97	2896	DR.PANKAJ JOSHI
98	2907	DR.SHIVANI KATAKWAR
99	2909	DR.SUBHASH JHANKARE
100	2955	GAJANAND JAYPAL
101	2961	GAJENDRA PATEL
102	2972	GANESH SOLANKI
103	2975	GANGARAM MARSKOLEY
104	3009	GAUTAM SINGH DHURVE
105	3022	GEETA SINHA
106	3082	GOVIND PRASAD DHURVE
107	3084	GOVIND SINGH MARAVI
108	3103	GYANENDRADHAR DWIVEDI
109	3110	HANSA RANI DINDOR
110	3115	HARI PRASAD MORE
111	3167	HEMANT KUMAR KAROLE

S.No.	Roll	Name
112	3202	HIMANSHU TIWARY
113	3214	HITESH MANDLOI
114	3281	JAGJEEVAN MESHAM
115	3335	JAYSHREE PATHAK
116	3356	JITENDRA CHACHRE
117	3376	JITENDRA KUMAR SRIVASTAV
118	3378	JITENDRA MAKWANE
119	3380	JITENDRA MORI
120	3405	JITENDRA SOLANKI
121	3409	JODHAN SINGH DANGI
122	3456	JYOTSANA JAMRA
123	3464	KAILASH CHANDRA BILODIYA
124	3475	KAILASH WASKALE
125	3490	KALU SINGH AMLIYAR
126	3496	KAMAL DEEP CHOUHAN
127	3498	KAMAL KISHOR PANDEL
128	3504	KAMAL SINGH GADARIYA
129	3525	KAMLESH PATIL
130	3530	KAMLESH SHER
131	3551	KAPIL JAT
132	3591	KAVITA MASRAM
133	3596	KAVITA SONAWANE
134	3607	KESHAR SINGH DUDWE
135	3610	KESHAV PRASAD JHARIYA
136	3611	KESHAV PURI GOSWAMI
137	3613	KESHAV SINGH SOLANKI
138	3637	KIRAN GOSWAMI
139	3646	KIRANBALA DAWEL
140	3650	KIRTI JAIN
141	3653	KIRTI RATHORE
142	3701	KRISHNA THAKRE
143	3703	KRISHNA VERMA
144	3720	KULDEEP DHRUWA
145	3726	KULDEEP NIGAM
146	3750	KUNDAN BAGHEL
147	3751	KUNDAN KANT CHANDRA
148	3754	KUNWAR GAJENDRA PRAKASH SINGH
149	3771	LAL BAHADUR
150	3785	LALITA MORI
151	3795	LAXMI BATHAM
152	3824	LOKESH BIRLE
153	3836	MADAN LAL MALVIYA



S.No.	Roll	Name
154	3842	MADHAVI WANGE
155	3851	MADHURI LATA MISHRA
156	3890	MAHENDRA SINGORIA
157	3893	MAHESH CHOUHAN
158	3895	MAHESH KUMAR CHOUHAN
159	3906	MAHESH WASKLE
160	3917	MALTI KHARADI
161	3918	MALTI NAGAR
162	3925	MAMTA MOURYA
163	3965	MANISH KUMAR CHANGOD
164	3968	MANISH KUMAR RAGHUWANSHI
165	3994	MANISHA NAGAR
166	3997	MANISHA SAGAR
167	4012	MANJU VERMA
168	4023	MANOHAR DANGI
169	4036	MANOJ KUMAR CHOUHAN
170	4071	MANOJ SAHU
171	4077	MANOJ SWARANKAR
172	4085	MANSI THAKER
173	4122	MD REZAUL MOIN
174	4137	MEENAKSHI SINGH
175	4179	MISS NISHA VASANDE
176	4187	MITHLESH KUMAR
177	4209	MOHAMMAD SHOAIB DIWAN
178	4260	MOHITA DIXIT
179	4273	MONALISA BHATTA
180	4292	MRS MADHUBALA CHOUHAN
181	4301	MUKESH CHOUHAN
182	4327	MUKESH PATEL
183	4340	MUKTA SHARMA
184	4362	NAGESH KUMAR MANIKPURI
185	4377	NAMITA SAXENA
186	4409	NARENDRA CHOUHAN
187	4421	NARENDRA MAHAJAN
188	4436	NARENDRA SINGH VERMA
189	4438	NARENDRA SONDHIIYA
190	4456	NAVEEN KUMAR GHORMARE
191	4478	NEELAM GUPTA
192	4480	NEELAM KUSHWAH
193	4482	NEELAM MANDLOI
194	4483	NEELAM MEHAR
195	4507	NEELU VISHWAKARMA

S.No.	Roll	Name
196	4534	NEESHMA SIDDIQUE
197	4554	NEETU KOLARE
198	4573	NEHA DWIVEDI
199	4590	NEHA MEHRA
200	4609	NEHA SINGH WASKEL
201	4614	NEHA THAKUR
202	4622	NIDHI BHAIYA
203	4656	NIHARIKA SHUKLA
204	4658	NIKETA SHAILANE
205	4674	NILESH KUMAR KHADEDIA
206	4675	NILESH KUMAR LACHHETA
207	4704	NIRMALA NINGWAL
208	4705	NIRMALESHNANDINI JHARA
209	4720	NISHANT PRABHAKAR
210	4739	NITIN HEND
211	4762	NITIN VARTHI
212	4799	OMPRAKASH NEWARE
213	4815	PADMA SAYALWAR
214	4853	PANKAJ SHUKLA
215	4865	PAPITA MUVEL
216	4866	PARAMDEEP CHOUHAN
217	4803	OMPRAKASH PATEL
218	4949	POOJA RAI
219	5004	PRACHI SHRIVASTAVA
220	5052	PRAKASH KUMAR GUPTA
221	5085	PRAMOD PURENIA
222	5088	PRAMOD TELANGE
223	5134	PRATIBHA MARKAM
224	5152	PRATIMA DAWAR
225	5159	PRATYUSH HERMIT
226	5175	PRAVECN PRAKASH AHIRWAR
227	5191	PREETI BALA PATIDAR
228	5224	PREETI TELENG
229	5225	PREETI THAMOUS
230	5228	PREETI BALA GAYAKWAD
231	5256	PRITAM SINGH KATARA
232	5257	PRITESH KUMAR MATE
233	5263	PRITI CHOUKSEY
234	5271	PRITI SOLANKI
235	5292	PRIYANKA AHIRWAR
236	5313	PRIYANKA MEHRA
237	5337	PRIYANKA SONI

S.No.	Roll	Name
238	5356	PUNEETA DHUMKETI
239	5367	PURUSHOTTAM SARYAM
240	5372	PUSHPA BHAGAT
241	5377	PUSHPA SINGH
242	5396	PUSHPRAJ SINGH
243	5411	RACHANA RAGHUWANSHI
244	5455	RAHUL KUMAR CHANDROUL
245	5472	RAINA KASDE
246	5476	RAJ KUMAR KHARE
247	5540	RAJESH BHAGWATE
248	5550	RAJESH KALAWAT
249	5557	RAJESH KUMAR BARTHE
250	5563	RAJESH KUMAR JADHAV
251	5614	RAJKUMAR JHARWADE
252	5617	RAJKUMAR NAGAR
253	5672	RAKESH KUMAR AWASIYA
254	5713	RAKHI RAGHU
255	5722	RAM BHAGAT VISHWAKARMA
256	5727	RAM JI MAJHI
257	5761	RAMESH KATARA
258	5791	RAMROOP RAIKHERE
259	5802	RANI DANGI
260	5804	RANI NAGAR
261	5812	RANJANA NIBORYA
262	5820	RANJEET KUMAR
263	5824	RANJEET SINGH AJNARE
264	5826	RANJEETA BHALAVI
265	5836	RANJITA SINGAR
266	5839	RANU SHARMA
267	5875	RASHMI THAKUR
268	5889	RAVENDRA KUMAR PANDEY
269	5895	RAVI DWIVEDI
270	5903	RAVI KUMAR BAIN
271	5906	RAVI KUMAR MISHRA
272	5932	RAVINDRA SINGH RAJPOOT
273	5935	RAVINDRA JAISWAL
274	5959	REENA ARYA
275	5987	REMSINGH MANDLOI
276	5988	RENU DHURVEY
277	6003	RESHMA KHAN
278	6024	RICHA SONI
279	6064	RITESH WILFRED

S.No.	Roll	Name
280	6067	RITIKA ASTHANA
281	6118	ROSHMA THAPA
282	6124	ROSHNI RAWAT
283	6145	RUCHI RAGHUWANSHI
284	6147	RUCHITA AGGARWAL
285	6172	RUPESH KUMAR MALVIYA
286	6178	RUPESH TAGORE
287	6212	SACHIN VERMA
288	6272	SANDEEP ANWANE
289	6281	SANDEEP KUMAR DAWAR
290	6317	SANDEEP SONI
291	6327	SANDHYA MORE
292	6330	SANDHYA RAWAT
293	6342	SANGEETA KASTWAR
294	6357	SANGEETA UIKEY
295	6361	SANJANA GHOGARAKAR
296	6378	SANJAY KUMAR CHOUHAN
297	6397	SANJAY PATIDAR
298	6404	SANJAY SINGH PATEL
299	6441	SANTOSH KUMAR NIGAM
300	6453	SANTOSH MISHRA
301	6466	SAPNA ARMA
302	6487	SARBAI SENANI
303	6489	SARIKA BAKORIYA
304	6517	SAROJ SINGH
305	6518	SAROJ SINGH AHIRWAR
306	6538	SATISH KUMAR SHAKYA
307	6544	SATYA NARAYAN PITANIA
308	6579	SAURAV BISWAS
309	6592	SAWAN DANGODE
310	6606	SEEMA PARMAR
311	6662	SHAILENDRA RATHORE
312	6664	SHAILENDRA SINGH
313	6671	SHAILENDRA SINGH RATHORE
314	6680	SHAILESH BARIA
315	6707	SHALINI SINGH
316	6717	SHANTI YADAV
317	6744	SHASHI KUMAR BAGHEL
318	6774	SHEETAL SINGOD
319	6775	SHEETAL SOLANKI
320	6813	SHILPA DAWAR
321	6839	SHIV DAYAL KUMRE

S.No.	Roll	Name
322	6857	SHIVAM MISHRA
323	6874	SHIV KUMARI VERMA
324	6894	SHOBHARAM BAGHEL
325	6960	SHWETA MISHRA
326	6983	SHYAM LAL
327	6985	SHYAM PATEL
328	7043	SONA NAG
329	7047	SONAL JAIN
330	7101	SUBHASH SOLANKI
331	7162	SUMIT PALIWAL
332	7177	SUNIL JAMRA
333	7194	SUNIL KUMAR MADHUKAR
334	7209	SUNIL MUKATI
335	7216	SUNIL RATHORE
336	7232	SUNITA GURJAR
337	7245	SUPRIYA PRAMANIK
338	7254	SURBHI SHARANGPURE
339	7257	SURENDRA AHIRWAR
340	7262	SURENDRA KUMAR JAIN
341	7268	SURENDRA KUMAR PRAJAPATI
342	7271	SURENDRA PARTE
343	7274	SURENDRA SINGH INDORIA
344	7289	SURESH KUMAR YADAV
345	7324	SUSHMA THAKUR
346	7342	SWATANTRA KUMAR
347	7380	SWETA PHUSKELE
348	7402	TANUSHREE JHALANI
349	7410	TAPESHWAR KUMAR YADAV
350	7460	TRIVENI GANWIR
351	7463	UDAY PARADKAR
352	7511	USHA YADAV
353	7513	UTKARSH MODI
354	7541	VANDANA CHOUHAN
355	7561	VANDNA SURYAWANSHI
356	7562	VANEE DEV
357	7591	VEENA WARKADE
358	7600	VIBHA SHARMA
359	7610	VIDYA ALONKAR
360	7622	VIJAY KUMAR
361	7624	VIJAY KUMAR CHOUHAN
362	7665	VIKAS AGRAWAL
363	7762	VINOD KHANNA

S.No.	Roll	Name
364	7768	VINOD KUMAR KAIN
365	7811	VIRENDRA TAIGOR
366	7814	VISHAKHA CHANDRAKAR
367	7824	VISHAL SARAIYA
368	7864	VIVEK SHARMA
369	7888	YADUVENDRA SINGH
370	7899	YASHWANT KUMAR MALVIYA
371	7923	YOGESH BARASKER
372	7935	YOGESH KUMAR SHUKLA
373	7945	YOGESH SHARMA
374	7955	YUGAL KISHORE JATAV

- महत्वपूर्ण टीप:—**
1. सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जायेंगे.
  2. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फॉर्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जाँच के उपरान्त ही साक्षात्कार दिनांक 12 जनवरी, 2015 से आयोजित होंगे.
  3. परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणिक प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
  4. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
  5. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं. अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें. लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी.
  6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चरप्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.
  7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

आर. आर. कान्हेरे,  
परीक्षा नियंत्रक.

(07-A)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, बैरागढ़ वृत्त, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत ]

समक्ष—रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

क्र. 3/बी-113/बैरा. वृत्त/14.—जैसा कि श्री मु. अब्दुल रहीम अध्यक्ष "हुसैनी रहीमी न्यास ट्रस्ट" संजय नगर कॉलोनी, करोदकलां, तहसील हुजूर, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 30 जनवरी, 2015 को विचार में लिया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	..	“हुसैनी रहीमी न्यास ट्रस्ट” संजय नगर कॉलोनी, करोंदकलां, तहसील हुजूर, भोपाल
अचल सम्पत्ति	..	संस्था की प्रारंभिक सम्पत्ति रुपये 2100.00 रुपये भारतीय स्टेट बैंक शा. बाद, भोपाल.

पी. आर. नागले,  
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(02)

### न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 23 दिसम्बर, 2014

रा. प्र. क्र.02/बी-113 वर्ष 2013-14.

मौजा बालाघाट, प.ह.नं.13/2.

क्र. 1595/प्रस्तुत्कार-1/2014.—यहकि सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यासकर्ता, अध्यक्ष श्री रणजीतभाई हरजीभाई परमार, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट द्वारा “समाज प्रतिभा परिवार न्यास बालाघाट” ट्रस्ट मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951-30 की धारा-4) के अन्तर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 29 जनवरी, 2015 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास की सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवशान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

ग्राम का नाम	प.ह.न.	चल सम्पत्ति	विवरण
ग्राम बालाघाट	13/2	62229.00 नगद	“समाज प्रतिभा परिवार न्यास बालाघाट” ट्रस्ट. अध्यक्ष- श्री रणजीभाई हरजीभाई परमार लाभ-शुभ गोंदिया रोड, बालाघाट (म.प्र.).

आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित से जारी किया गया।

(03)

बालाघाट, दिनांक 13 दिसम्बर, 2014

रा. प्र. क्र.02/बी-113 वर्ष 2013-14.

मौजा बालाघाट, प.ह.नं.13/2.

क्र. 15576/प्रस्तुत्कार-1/2014.—यहकि सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यासकर्ता, अध्यक्ष श्री जमीर खान “फैजान ए गरीब नवाज कमेटी बालाघाट”, तहसील व जिला बालाघाट द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951-30 की धारा-4) के अन्तर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 13 जनवरी, 2015 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास की सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवशान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

**अनुसूची**

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

ग्राम का नाम	प.ह.न.	अचल सम्पत्ति	विवरण
ग्राम बालाघाट	13/2	ख.नं. 267/2क/21ग रकबा 0.018	अध्यक्ष श्री जमीरखान फैजान ए गरीब नमाज कमेटी, बालाघाट (म. प्र.).

आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित से जारी किया गया.

(03-A)

डी. एस. परस्ते,  
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास आगर, जिला आगर**

आगर, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014

रा.प्र. क्र. 02/बी-113/2014-15.

**प्ररूप क्रमांक-4**

[ देखें नियम-5(1) ]

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (2) के द्वारा ]

लोक न्यासों के पंजीयक आगर, जिला आगर मालवा के समक्ष.

अतः कि श्री सागरमल जैन पिता श्री कुवंरलाल जैन जाति महाजन, निवासी कस्बा बडोद, तहसील बडोद, जिला आगर (मध्यप्रदेश) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में श्री सुधर्म जैन "पोषध" शाला ट्रस्ट कस्बा बडोद, तहसील बडोद, जिला आगर (मध्यप्रदेश) में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 13 जनवरी, 2015 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम . . . श्री सुधर्म जैन "पोषध" शाला ट्रस्ट कस्बा बडोद, तहसील बडोद, जिला आगर, मध्यप्रदेश  
में चल सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य रुपये 500.00 नगदी (अक्षरी रुपये पाँच सौ मात्र).

(06)

जी. एस. डाबर,  
अनुविभागीय अधिकारी.

**अन्य सूचनाएं****कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी**

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/979.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झाँकर जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/13, दिनांक 17 नवम्बर, 2000 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/498, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयवधि दी गई थी. इस समयवधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.



अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झोंकर को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जे. एस. रावत, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जे. एस. रावत, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/980.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जोड़ाई, जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/248, दिनांक 11 अप्रैल, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/477, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जोड़ाई को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जे. एस. रावत, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जे. एस. रावत, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-A)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/982.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, निहाली जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/196, दिनांक 26 अक्टूबर, 2005 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/478, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, निहाली को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विजय कुमार गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विजय कुमार गुप्ता, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-B)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/983.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उपला घाटी जिसका की पंजीयन क्रमांक/KRGN/1170, दिनांक 31 अगस्त, 1998

है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/512, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी। इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उपला घाटी को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विजय कुमार गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विजय कुमार गुप्ता, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें।

(04-C)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/984.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उपला जिसका की पंजीयन क्रमांक/KRGN/1103, दिनांक 16 जनवरी, 1997 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/513, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी। इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उपला को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विजय कुमार गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विजय कुमार गुप्ता, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें।

(04-D)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/985.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खड़कियामहु जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/228, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/482, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी। इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खड़कियामहु को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. आर. सैते, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. आर. सैते, अंकेक्षण अधिकारी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें।

(04-E)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/986.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सिदड़ी (निवाली) जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/205, दिनांक 04 जुलाई, 2006 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/500, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सिदड़ी (निवाली) को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जे. एस. रावत, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जे. एस. रावत, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-F)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/987.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सिदड़ी (राजपुर) जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/221, दिनांक 21 अगस्त, 2007 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/501, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सिदड़ी को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. आर. सैते, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. आर. सैते, अंकेक्षण अधिकारी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-G)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/988.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुमड़िया बुजुर्ग जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/206, दिनांक 04 जुलाई, 2006 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/497, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुमड़िया बुजुर्ग को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें।

(04-H)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/989.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जलखेड़ा जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/218, दिनांक 05 जुलाई, 2007 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/479, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जलखेड़ा को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षण अधिकारी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें।

(04-I)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/990.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वझर जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/204, दिनांक 04 जुलाई, 2006 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/499, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वझर को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षण अधिकारी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें।

(04-J)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/991.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ठान, जिसका पंजीयन क्रमांक/BRWN/255, दिनांक 27 अगस्त, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/485, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ठान को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. आर. सैते, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. आर. सैते, अंकेक्षण अधिकारी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें।

(04-K)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/992.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आवली जिसका की पंजीयन क्रमांक/KRGN/1099, दिनांक 16 जनवरी, 1997 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/480, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आवली को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. सोलंकी, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एस. सोलंकी, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-L)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/993.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, साकड़ जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/242, दिनांक 20 मार्च, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/272, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, साकड़ को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-M)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/994.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/241, दिनांक 20 मार्च, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/471, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-N)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/995.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुण्डियापुरा जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/246, दिनांक 04 अप्रैल, 2004 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/470, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुण्डियापुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. सोलंकी, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एस. सोलंकी, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-O)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/996.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़दा जिसका की पंजीयन क्रमांक/KRGNN/613, दिनांक 23 अप्रैल, 1983 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/469, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़दा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री पवन अग्रवाल, उप-अंकेक्षण को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पवन अग्रवाल, उप-अंकेक्षण परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-P)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/997.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लोनसरा बुजुर्ग जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/245, दिनांक 1 अप्रैल, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/506, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लोनसरा बुजुर्ग को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री पवन अग्रवाल, उप-अंकेक्षण को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पवन अग्रवाल, उप-अंकेक्षण परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-Q)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/998.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, काकरिया जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/249, दिनांक 11 अप्रैल, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/468, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयवाधि दी गई थी. इस समयवाधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, काकरिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अशोक शर्मा, उप-अंकेक्षण को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अशोक शर्मा, उप-अंकेक्षण परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-R)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/999.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवला (अजंदा) जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/234, दिनांक 29 जनवरी, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/467, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयवाधि दी गई थी. इस समयवाधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवला को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अशोक शर्मा, उप-अंकेक्षण को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अशोक शर्मा, उप-अंकेक्षण परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-S)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1000.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बोंदरकच्छ जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/195, दिनांक 23 सितम्बर, 2005 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/503, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयवाधि दी गई थी. इस समयवाधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बॉदरकच्छ को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. सोलंकी, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एस. सोलंकी, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-T)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/1001.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, घट्टी जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/207, दिनांक 07 जुलाई, 2006 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/502, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, घट्टी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अशोक शर्मा, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अशोक शर्मा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-U)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/1002.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दवाना जिसका की पंजीयन क्रमांक/KGRN/610, दिनांक 23 अप्रैल, 1983 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/473, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दवाना को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. सोलंकी, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एस. सोलंकी, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-V)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/1003.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धमनई जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/201, दिनांक 21 अप्रैल, 2006 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/504, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.



अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धमनई को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-W)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1004.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वेदपुरी जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/252, दिनांक 29 मई, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/484, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वेदपुरी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-X)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1005.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हिरकराय जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/254, दिनांक 27 अगस्त, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/474, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हिरकराय को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-Y)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1006.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मेणीमाता जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/251, दिनांक 29 मई, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/475, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मेणीमाता को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(04-Z)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/1007.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लोनसरा खुर्द जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/244, दिनांक 01 अप्रैल, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/505, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लोनसरा खुर्द को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री पवन अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पवन अग्रवाल, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(05)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/1008.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रणगांवडेब जिसका की पंजीयन क्रमांक/KRGN/803, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/509, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रणगांवडेब को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. सोलंकी, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. एस. सोलंकी, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(05-A)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/1009.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सेंधवा जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/300, दिनांक 30 मार्च, 2012 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/508, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सेंधवा को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. आर. सैते, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. आर. सैते, अंकेक्षण अधिकारी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(05-B)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1010.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खड़िखम जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/189, दिनांक 30 जुलाई, 2005 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/496, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खड़िखम को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अशोक काग, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अशोक काग, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(05-C)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1011.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, राजपुरा जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/238, दिनांक 29 फरवरी, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/489, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, राजपुरा को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अशोक काग, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अशोक काग, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(05-D)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1012.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जुनापानी जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/236,

दिनांक 27 फरवरी, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/491, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जुनापानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अशोक काग, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अशोक काग, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(05-E)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/1014.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मोयदा जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/250, दिनांक 17 अप्रैल, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/495, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मोयदा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. ए. खान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. ए. खान, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(05-F)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2014/1015.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मतराला जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/242, दिनांक 24 मार्च, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/494, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मतराला को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. ए. खान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. ए. खान, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(05-G)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1016.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आमदा जिसका की पंजीयन क्रमांक/KRGN/508, दिनांक 7 दिसम्बर, 1976 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/495, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आमदा को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. ए. खान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. ए. खान, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(05-H)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1017.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कानसुल जिसका की पंजीयन क्रमांक/KRGN/507, दिनांक 07 दिसम्बर, 1976 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/493, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कानसुल को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. के. महाजन, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. महाजन, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(05-I)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1018.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पनाली जिसका की पंजीयन क्रमांक/BRWN/239, दिनांक 04 मार्च, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/488, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पनाली को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. के. महाजन, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. महाजन, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(05-J)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1019.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मोरतलाई जिसका पंजीयन क्रमांक/KRGN/731, दिनांक 19 दिसम्बर, 1988 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/487, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मोरतलाई को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. के. महाजन, पर्यवेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. महाजन, पर्यवेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(05-K)

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/1020.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टेमला जिसका की पंजीयन क्रमांक/KRGN/738, दिनांक 09 मार्च, 1989 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2014/490, दिनांक 23 जून, 2014 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, मीना डावर, सहायक पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्टित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टेमला को एतद्द्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. ए. खान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. ए. खान, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(05-L)

मीना डावर,  
सहायक पंजीयक (प्रशासन).



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 02 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जनवरी 2015-पौष 19, शके 1936

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 10 सितम्बर, 2014

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

( अ ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील सबलगढ़ ( मुरैना ), ईसागढ़, अशोकनगर ( अशोकनगर ), राघोगढ़ ( गुना ), नौगांव ( छतरपुर ), पन्ना, गुन्नौर, शाहनगर ( पन्ना ), बण्डा, गढ़ाकोटा ( सागर ), मझगावां, रामनगर, बिरसिंहपुर ( सतना ), सिरमोर, हजूर ( रीवा ), रामपुरनैकिन ( सीधी ), थांदला, मेघनगर, पेटलावद, झाबुआ, राणापुर ( झाबुआ ), बैरसिया ( भोपाल ), रीठी ( कटनी ) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( ब ) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील विजयपुर ( श्योपुर ), ग्वालियर ( ग्वालियर ), चन्देरी ( अशोकनगर ), गुना, आरोन ( गुना ), लवकुशनगर, छतरपुर, बिजावर ( छतरपुर ), पवई ( पन्ना ), रहली ( सागर ), अमरपाटन ( सतना ), मऊगंज, गुढ़ ( रीवा ), भानपुरा ( मंदसौर ), हुजूर ( भोपाल ), कटनी, बहोरीबंद ( कटनी ), मण्डला ( मण्डला ), अमरवाड़ा ( छिन्दवाड़ा ), लाँजी, कटंगी ( बालाघाट ) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( स ) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील कैलारस ( मुरैना ), भितरवार, घाटीगांव ( ग्वालियर ), भाण्डेर ( दतिया ), मुंगावली ( अशोकनगर ), बमौरी, चाचोड़ा, कुंभराज ( गुना ), गौरीहार, बड़ामल्हरा ( छतरपुर ), अजयगढ़ ( पन्ना ), सागर, देवरी, मालधोन ( सागर ), रायपुरकचुलियान ( रीवा ), कुसमी, चुरहट ( सीधी ), गरोट, श्यामगढ़, सीतामऊ, संजीत ( मंदसौर ), नटेरन, ग्यारसपुर ( विदिशा ), गोहरगंज, बरेली, उदयपुरा ( रायसेन ), मुल्ताई ( बैतूल ), सीहोरा, पाटन ( जबलपुर ), ढीमरखेड़ा, बड़वारा ( कटनी ), घुघरी ( मंडला ), सोंसर ( छिन्दवाड़ा ), सिवनी, कुरई ( सिवनी ), बालाघाट, बैहर, वारासिवनी ( बालाघाट ) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( द ) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा ( मुरैना ), श्योपुर, कराहल ( श्योपुर ), डबरा ( ग्वालियर ), दतिया, सेवड़ा ( दतिया ), राजनगर, बक्स्वाहा ( छतरपुर ), बीना, खुरई, राहतगढ़, केसली, शाहगढ़ ( सागर ), त्यौंथर, हनुमना ( रीवा ), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ ( अनूपपुर ), बांधवगढ़, पाली, मानपुर ( उमरिया ), गोपदबनास, सिंहावल, मझोली ( सीधी ), सुबासरा टप्पा, मल्हारगढ़, मंदसौर, धुन्धड़का, कयामपुर ( मंदसौर ), कट्टीवाड़ा, सोण्डवा, च. शेखर आ. नगर ( अलीराजपुर ), बदनावर, सरदारपुर, धार, कुक्षी, गंधवानी, डही ( धार ), बड़वानी, सेंधवा, पानसेमल, पाटी, निवाली ( बड़वानी ), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर ( बुरहानपुर ), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, बासोदा, विदिशा, गुलाबगंज ( विदिशा ), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, बाड़ी ( रायसेन ), भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचोली, बैतूल, आठनेर, आमला ( बैतूल ), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, बाबई, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी, पचमढी ( होशंगाबाद ), जबलपुर, मझोली, कुण्डम ( जबलपुर ), विजयराघवगढ़, बरही ( कटनी ), निवास, बिछिया, नैनपुर, नारायणगंज ( मण्डला ), डिण्डोरी, बजाग, शाहपुरा ( डिण्डोरी ), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, तामिया, पांडुर्णा, चौरई, बिछुआ, हरई, मोहखेडा ( छिन्दवाड़ा ), केवलारी, लखनादौन, बरघाट, घन्सौर, घनोरा, छपारा ( सिवनी ) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( ड ) 245.0 मि. मी. से 450.1 मि. मी. तक.—तहसील अलीराजपुर (अलीराजपुर), मनावर, धरमपुरी (धर), ठीकरी, राजपुर (बड़वानी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

( इ ) 450.1 मि. मी. से अधिकतम तक.—तहसील जोवट, उदयगढ़ (अलीराजपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अनूपपुर, सीधी, बड़वानी, सिवनी में जुताई व रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला श्योपुर, खरगौन में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—

6. सिंचाई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, सागर, दमोह, रीवा, झाबुआ, बड़वानी, विदिशा, भोपाल, नरसिंहपुर तथा बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।



## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 10 सितम्बर, 2014

जिला/तहसीलें	1.ससाह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुँरैना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	132.0				
2. पोरसा	63.0				
3. मुँरैना	56.0				
4. जौरा	70.0				
5. सबलगढ़	04.0				
6. कैलारस	50.0				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूँग, उड़द, सोयाबीन सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	60.0				
2. कराहल	61.3				
3. विजयपुर	24.0				
<b>*जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
1. अटेर	. .				
2. भिण्ड	. .				
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	22.4				
2. डबरा	59.0				
3. भितरवार	51.1				
4. घाटीगांव	45.0				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना, तिल, उड़द, धान समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवदा	67.0				
2. दतिया	63.0				
3. भाण्डेर	37.0				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .				
2. पिछोर	. .				
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	39.0		4. (1) उड़द अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	11.0		(2) ..		
3. अशोकनगर	15.0				
4. चन्देरी	26.0				
5. शादौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ...	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	18.7		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	16.0		(2) ..		
3. बमोरी	47.0				
4. आरोन	22.0				
5. चाचौड़ा	35.0				
6. कुम्भराज	47.0				
<b>*जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	22.0		4. (1) तुअर अधिक. ज्वार, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	38.0		(2) ..		
3. नौगांव	14.2				
4. छतरपुर	19.4				
5. राजनगर	82.0				
6. बिजावर	31.0				
7. बड़ामलहरा	41.8				
8. बकस्वाहा	76.8				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	37.4		4. (1) मूँग अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	13.0		(2) ..		
3. गुन्नौर	16.0				
4. पवई	19.0				
5. शाहनगर	1.0				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	121.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	76.5		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	14.2				
4. सागर	47.7				
5. रेहली	32.0				
6. देवरी	45.0				
7. गढ़ाकोटा	14.2				
8. राहतगढ़	68.0				
9. केसली	63.0				
10. मालथोन	44.2				
11. शाहगढ़	85.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूँग, मक्का, धान, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मूँग, उड़द, मक्का, तुअर अधिक. धान, सोयाबीन कम. कोदों-कुटकी समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगावां	10.0				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	20.0				
7. रामनगर	10.0				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	12.0				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार अधिक. धान, सोयाबीन कम. मूँग, उड़द, अरहर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	55.0				
2. सिरमौर	14.6				
3. मऊगंज	23.8				
4. हनुमना	70.0				
5. हजूर	17.4				
6. गुढ़	23.2				
7. रायपुरकर्चुलियान	35.0				
<b>*जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, राहर, कोदों-कुटकी, रामतिल कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	91.6				
2. अनूपपुर	112.2				
3. कोतमा	83.3				
4. पुष्पराजगढ़	109.4				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, उड़द अधिक. धान, तिल, सोयाबीन कम. मक्का, कोदों- कुटकी समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	69.9				
2. पाली	89.0				
3. मानपुर	56.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	55.8		4. (1) मक्का, धान, तिल, तुअर, मूँग, उड़द, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	91.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	83.8				
4. कुसमी	37.0				
5. चुरहट	46.7				
6. रामपुरनैकिन	15.2				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) धान कम. मक्का, ज्वार, तिल, उड़द, मूँग, कोदों, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	. .				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	95.8		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	34.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मल्हारगढ़	70.0				
4. गरोठ	42.0				
5. मन्दासौर	69.0				
6. श्यामगढ़	37.7				
7. सीतामऊ	41.0				
8. धुन्धडका	72.0				
9. संजीत	47.0				
10. कयामपुर	65.2				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द अधिक. तिल, मूँगफली कम. तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
<b>जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द समान.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापिपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) कपास, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली अधिक. गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. थांदला	8.0		4. (1) मक्का, तुअर, उड़द अधिक. धान, सोयाबीन, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	7.0		(2) ..		
3. पेटलावद	10.4				
4. झाबुआ	5.3				
5. राणापुर	5.0				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. जोवट	508.4		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, उड़द, मूँग, सोयाबीन, कपास समान.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	313.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कट्टीवाड़ा	95.0				
4. सोण्डवा	182.0				
5. च.शे. आ. नगर	180.6				
6. उदयगढ़	749.2				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	77.0		4. (1) मक्का, कपास, मूँगफली अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	201.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	204.3				
4. कुक्षी	164.6				
5. मनावर	253.0				
6. धरमपुरी	250.2				
7. गंधवानी	231.8				
8. डही	132.0				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..		
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	134.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	310.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	263.0				
4. सेंधवा	168.0				
5. पानसेमल	111.0				
6. पाटी	122.0				
7. निवाली	193.0				
<b>*जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	142.6		4. (1) कपास, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	179.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	173.0				
<b>*जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	124.0		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	62.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	94.8				
4. बासौदा	66.8				
5. नटेरन	45.0				
6. विदिशा	115.0				
7. गुलाबगंज	64.0				
8. ग्यारसपुर	43.0				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	14.8		4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का, तुअर, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	31.01		मूँगफली, ज्वार, उड़द समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..		
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	67.8		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, अरहर, मूँग, उड़द, सोयाबीन, मूँगफली, तिल, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	71.8				
3. बेगमगंज	75.0				
4. गौहरगंज	41.0				
5. बरेली	46.2				
6. सिलवानी	82.4				
7. बाड़ी	75.5				
8. उदयपुरा	41.0				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	97.5		4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	143.1				
3. शाहपुर	166.2				
4. चिचोली	82.8				
5. बैतूल	87.9				
6. मुलताई	44.6				
7. आठनेर	54.0				
8. आमला	104.0				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	209.2		4. (1) गन्ना, मूँगमोट, उड़द, तुअर अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	197.1				
3. बावई	130.0				
4. इटारसी	99.2				
5. सोहागपुर	96.0				
6. पिपरिया	88.2				
7. वनखेड़ी	143.2				
8. पचमढी	127.4				
<b>*जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) .. (2) ..	6. ..	8. ..
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	52.0		4. (1) धान, मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	39.4				
3. जबलपुर	127.0				
4. मझौली	53.3				
5. कुण्डम	84.3				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	32.1		4. (1) धान, तिल, मक्का, कोदों, राहर, उड़द, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	8.0				
3. विजयराघवगढ़	60.0				
4. बहोरीबंद	31.0				
5. ढीमरखेड़ा	43.0				
6. बड़वारा	44.0				
7. बरही	60.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	69.9		4. (1) धान, मक्का, तुअर, तिल, उड़द, कोदों-कुटकी, सन सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	90.9		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. नैनपुर	82.5				
4. मण्डला	32.2				
5. घुघरी	42.6				
6. नारायणगंज	67.3				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	59.8		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	71.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शाहपुरा	55.8				
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	62.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	161.2		(2) ..		
3. परासिया	174.8				
4. जामई (तामिया)	130.2				
5. सोंसर	50.6				
6. पांढुर्णा	63.4				
7. अमरवाड़ा	25.0				
8. चौरई	57.4				
9. बिछुआ	56.0				
10. हरई	99.7				
11. मोहखेड़ा	61.4				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	49.2		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली अधिक. ज्वार, कोदों- कुटकी, सोयाबीन कम. तिल, सन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	54.2		(2) ..		
3. लखनादौन	65.3				
4. बरघाट	69.9				
5. कुरई	39.0				
6. घंसौर	67.0				
7. घनोरा	147.9				
8. छपारा	150.0				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	35.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	30.7		(2) ..		
3. बैहर	46.0				
4. वारासिवनी	39.2				
5. कटंगी	24.3				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला भिण्ड, टीकमगढ़, शहडोल, खण्डवा, राजगढ़, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

(01)

राजीव रंजन,  
आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.